न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 42 / 2024

उनवान

1. कान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. गोपाल सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. दुर्गाकंवर पुत्री श्री नारायण सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. देवी सिंह पुत्र श्री लाल सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. बालू सिंह पुत्र श्री फूल सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. भंवर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. शम्भू सिंह पुत्र श्री लाल सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   7/1 गोपाल सिंह गोदपुत्र नारायण सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. श्याम कंवर पत्नी श्री नारायण सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा, खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. चावण्ड सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह राणावत नि0 खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. शोभाग सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह राणावत नि0 खातीखेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. नारायण सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह राजपूत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. अलोल कंवर पत्नी श्री रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. कान सिंह पुत्र श्री रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. कालू सिंह पुत्र रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
7. भैरू सिंह पुत्र श्री रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
8. मीठू सिंह पुत्र सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. मोहन सिंह पुत्र श्री रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
10. रामसिंह पुत्र श्री रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
11. शिव सिंह पुत्र रूप सिंह राणावत नि0 फागणों का खेडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:33:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से एक [illegible] 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.0[illegible] को [illegible]तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खातीखेडा प.ह. मंगरोप द्वितीय [illegible] के खाता संख्या 55 की आ.न. 3434 रकबा 0.7081है0, [illegible] भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं [illegible] से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलि[illegible]र्थी अपने खाते की खातेदारी [illegible] भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 011 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का

Scanned with OKEN Scanner

अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खातीखेडा प.ह. मंगरोप द्वितीय भू.अ.नि.क्षैत्र मंगरोप हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 55 की आ.न. 3434 रकबा 0.7081है0, कुल किता 01 रकबा 0.7081 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (उज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner